प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 5909/2009

याचिकाकर्ता : सेवा राम ध्रुव

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध : 07/02/2011

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 5909/2009

याचिकाकर्ता : सेवा राम ध्रुव

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

(एकल पीठ: माननीय सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश)

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अजय श्रीवास्तवा, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री पी.के.भादुरी, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 2 के लिए: श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 3-4 के लिए: श्री हेमंत केशरवानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 5 के लिए: श्री वाय.एस. ठाकुर अधिवक्ता, की ओर से श्री राघवेंद्र सिंह, अधिवक्ता.

(दिनांक 07/02/2011 को उद्घोषित)

1. इस याचिका के ज़रिए, याचिकाकर्ता, रायपुर छत्तीसगढ़ के संचालक (पंचायत) द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्र 148/अ-89/07-08 (सेवा राम ध्रुव विरुद्ध तेजराम कृपाराम वर्मा और अन्य) में दिनांक 10-12-2008 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी/4) की वैधता और वैधानिकता को चुनौती देना चाहता है, जिसके द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर, बलौदा बाज़ार, रायपुर द्वारा प्रकरण क्र. 113/अ -89/06-07 (तेजराम वर्मा विरुद्ध सेवा राम ध्रुव और अन्य) में दिनांक 29-04-2008 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी/3) के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रकरण के न्याय निर्णयन के लिए बताए गए तथ्य यह हैं कि जनपद पंचायत, सिमगा ने दिनांक 15-01-2007 को ग्राम पंचायत पकड़ीडीह में पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ उक्त पद के लिए आवेदन किया। उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 09-04-2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्त किया गया।

3. याचिकाकर्ता की नियुक्ति से असंतुष्ट होकर, उत्तरवादी क्र. 2 ने अनु विभागीय अधिकारी, भाटापारा के सामने अपील की। अनु विभागीय अधिकारी ने दिनांक 26-02-2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) से उस अपील को प्रस्ताव के विरुद्ध अपील के अग्राह्य के आधार पर खारिज कर दिया, क्योंकि उत्तरवादी क्र. 2 ने पंचायत कर्मी की नियुक्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी थी। इससे असंतुष्ट होकर, उत्तरवादी क्र. 2 ने अतिरिक्त कलेक्टर, बलौदा बाज़ार के समक्ष अपील की, जिन्होंने दिनांक 29-04-2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) से उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया, दिनांक 16-1-2007 के प्रस्ताव को अभिखंडित कर दिया और नियमों के अनुसार पंचायत कर्मी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने संचालक (पंचायत) के सामने पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 148/अ-89/07-08 में एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। संचालक ने इस प्रकरण को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया कि क्या प्रस्ताव के विरुद्ध अनु विभागीय अधिकारी के समक्ष संकल्प के विरुद्ध अपील है अथवा नहीं? अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अभिलेखित निष्कर्ष को सही ठहराया और पुनरीक्षण खारिज कर दिया। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त कलेक्टर और संचालक (पंचायत) द्वारा पारित आदेश विधि के अनुसार नहीं हैं, क्योंकि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, प्रधिकारियों ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ विधि के संबंधित प्रावधानों का उनके सही अर्थों में बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जब याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी नियुक्त करने का एक विशिष्ट आदेश था। नियुक्ति आदेश को चुनौती न दिए जाने के कारण, अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा

अपील पर विचार करने की पूरी प्रक्रिया, और उसके बाद संचालक (पंचायत) द्वारा पुनरीक्षण को खारिज करना, विधि के प्रावधानों के विपरीत था और वह अक्रित और शून्य था।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत सिंह ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 (संक्षेप में "नियम, 1995") के नियम 3 (द) के प्रावधानों के तहत, ग्राम पंचायत का कोई भी काम अनु विभागीय अधिकारी के सामने अपील करने योग्य है और उसके बाद अगली अथॉरिटी अर्थात् अतिरिक्त कलेक्टर के सामने। संचालक (पंचायत) ने याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को सही ही खारिज किया है, क्योंकि अतिरिक्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "अधिनियम, 1993") की धारा 91 सह पठित नियम 3 के प्रावधानों के तहत अपील पर सुनवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री अजीत सिंह ने आगे तर्क दिया कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिनांक 29-4-2008 को दिए गए आदेश के अनुसार, नियमों के तहत पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए नया चयन शुरू किया गया और उत्तरवादी क्र. 2 को दिनांक 26-5-2008 के प्रस्ताव (अनुलग्नक - आर/2) के तहत पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया और दिनांक 27-8-2008 को इसे स्वीकृति दी गई (अनुलग्नक - आर/3)। इसके पश्चात्, दिनांक 5-9-2008 को आदेश (अनुलग्नक - आर/4) जारी किया गया जिसमें उत्तरवादी क्र. 2 को पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में, उत्तरवादी क्र. 2 को अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत दिनांक 11-9-2008 के आदेश (अनुलग्नक - आर/5) द्वारा पंचायत सचिव भी घोषित किया गया।

8. मैंने दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता की तर्क सुनी है, और अभिवचनो और उनसे जुड़े दस्तावेजों को देखे हैं।

9. निर्विवाद रूप से यह याचिका याचिकाकर्ता ने दिनांक 11-9-2009 को प्रस्तुत की थी, जिसमें संचालक (पंचायत) और अतिरिक्त कलेक्टर, बलौदा बाजार द्वारा क्रमशः दिनांक 10-12-2008 (अनुलग्नक - पी/4) और दिनांक 29-4-2008 (अनुलग्नक - पी/3) को पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी। उत्तरवादी क्र 2 की पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्ति दिनांक 5-9-2008 (अनुलग्नक - आर/4) को हुई थी और उसके पश्चात, उसे दिनांक 11-9-2008 (अनुलग्नक - आर/5) को पंचायत सचिव घोषित किया गया था। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के पालन में उत्तरवादी क्र 2 की पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति को कोई चुनौती नहीं दी गई है, और इस तरह, याचिका निष्फल हो गई है।

10. जहां तक इस प्रश्न पर विचार करने की बात है कि क्या किसी प्रस्ताव को चुनौती दी जा सकती है, जब याचिकाकर्ता के पक्ष में एक विशिष्ट आदेश था, तो यह अब अकादमिक हो गया है और इस पर उचित प्रकरण में विचार किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह अच्छी तरह से तय है कि यदि कोई प्रकरण मामले के तथ्यों के आधार पर निष्फल हो गया है और प्रश्न केवल अकादमिक उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाना है, तो मामले की जांच करना आवश्यक नहीं है। बशेश्वर नाथ विरुद्ध आयकर आयुक्त, दिल्ली और राजस्थान और अन्य[1] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"12. ...हमारा विचार है कि इस न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न पर कोई उद्घोषणा नहीं करनी चाहिए जो उसके सामने विशेष प्रकरण के निराकरण के लिए सख्ती की आवश्यक नहीं है। अतः, हम अपना ध्यान अनुच्छेद 14 तक सीमित रखते हैं और उसी आधार पर प्रश्न पर चर्चा करते हैं।"

[1] ए.आई.आर (1959) एस.सी 149

12.धरतीपकर मदन लाल अग्रवाल विरुद्ध राजीव गांधी[2] के प्रकरण में, न्यायाधीश ने नीचे बताए टिप्पणी की है:

"4. ....इस द्रष्टि में, उत्तरवादी के चुनाव को आपस्त करने के लिए याचिका में उठाए गए आधार अब सिर्फ़ अकादमिक रह गए हैं। न्यायालय को तब तक किसी प्रकरण पर निर्णय नहीं करना चाहिए जब तक कि वह पक्षकारों के बीच एक जीवित प्रकरण न हो। अगर कोई प्रकरण पूरी तरह से अकादमिक है, अर्थात् उसका निर्णय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति पर कोई असर नहीं डालेगा, तो उस पर निर्णय करने में जनता का समय बर्बाद होगा। न्यायाधीश विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सन लाइफ एश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा विरुद्ध जार्विस के प्रकरण में अपने भाषण में टिप्पणी की है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुझे नहीं लगता कि यह उस अधिकार का सही इस्तेमाल होगा जो इस हाउस के पास अपील सुनने के लिए है, अगर यह इस प्रकरण में एक अकादमिक प्रश्न पर निर्णय करने में समय लगाता है, जिसका जवाब किसी भी तरह से उत्तरवादी को प्रभावित नहीं कर सकता। यह इस हाउस द्वारा निराकरण जाने योग्य अपील की एक ज़रूरी आवश्यक गुण है कि प्रकरण के पक्षकारों के बीच एक वास्तविक विवाद होना चाहिए जिसे हाउस एक जीवित प्रकरण के रूप में तय करने का काम करता है।

13.सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य विरुद्ध क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और अन्य[3] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी किया:

"121. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ऊपर बताए गए घटनाक्रमों और विधि की स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जिन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए और जिन तथ्यात्मक और विधिक बातों पर विचार करके उसने ये आदेश पारित किए, वे अपने आप में सब कुछ स्पष्ट करती हैं। यद्यपि, क्योंकि क्रिकेट मैच पहले ही

[2] (1987) सप. एस.सी.सी 93

[3] (1995) 2 एस.सी.सी 161

प्रसारण हो चुके हैं, अतः आदेशों की वैधता या अन्यथा प्रश्न अब अकादमिक हो गया है और इस पर हमारा औपचारिक निर्णय देना ज़रूरी नहीं है। अतः हम ऐसा करने से बचते हैं।"

14.मणिपुर राज्य एवं अन्य विरुद्ध चंदम मणिहार सिंह[4] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"10. परस्पर विरोधी तर्कों पर ध्यान से विचार करने के पश्चात्, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्देश जो उत्तरवादी के कार्यकाल के पक्ष में था, जो दिनांक 15-10-1999 को समाप्त होने वाला था, वह लगभग पूरा हो चुका है और बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर काम करने के लिए उसके पास एक महीने से भी कम समय बचा है, अतः अपीलकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19-10-1998 के निर्णय द्वारा उत्तरवादी को हटाने के संबंध में उठाई गई पहली शिकायत अब सिर्फ़ अकादमिक रुचि की रह गई है। अतः, हमने अपीलकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को इस प्रकरण पर हमारे सामने और बहस करने की अनुमति नहीं दी। यह हमें दूसरे प्रकरण पर विचार करने की ओर ले जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अमित दास विरुद्ध बिहार राज्य[5] प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि:- यह तय प्रथा है कि यह न्यायालय ऐसे प्रकरणों पर निर्णय नहीं करता जो किसी विशेष प्रकरण के तथ्यों के आधार पर सिर्फ अकादमिक रुचि के हों।

(लाभ के लिए देखें: संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विरुद्ध भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, आर. एस. नायक विरुद्ध ए. आर. अंतुले और धरतीपकर मदन लाल अग्रवाल विरुद्ध राजीव गांधी)।"

---

[4] (1995) 7 एस.सी.सी 503

[5] (2001) 7 एस.सी.सी 657

16.प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य[6] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

"39. जहां तक मंज़ूरी देने में विवेक का प्रयोग ना किए जाने या मंजूरी के अभाव का प्रश्न है, इसका जवाब पहले प्रश्न में दिया गया है, अर्थात् जहां लोक कर्मचारी अब लोक कर्मचारी नहीं रहा है क्योंकि उसने वह पद छोड़ दिया है जहां कथित अपराध हुआ माना जाता है, तो दूसरे प्रश्न वास्तव में अकादमिक हो जाते हैं।"

17.इस न्यायालय ने, ऊपर बताए गए प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर अवलंब लेते हुए कि तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित विरुद्ध छत्तीसगढ़ सूचना आयोग एवं अन्य[7] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि अकादमिक रुचि के विधिक प्रश्न का न्याय निर्णयन नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.उपरोक्त बातों और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, प्रकरण की गुणा गुण में जाए बिना, यह याचिका निष्फल होने के कारण खारिज की जाती है।

19.वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....K.RADHIKA.....

[6] (2007) 1 एस.सी.सी 1

[7] Writ Petition (c) No. 4313 of 2008